# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –37 / 2018

दायर दिनांक – 16.07.2018

निर्णय दिनांक – 27.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2018 / 00038

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
| --- | --- | --- |
| 1. श्री रोडा पुत्र श्री बक्ता रावत निवासी नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर। | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर। |

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री मुकेश सिहं रावत, अधि0, प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

## –: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–132 सपठित धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नं. 12 में वर्तमान मानचित्र संवत् 1981–82 की आकृति में परिवर्तन करते हुए वर्किंग मानचित्र संवत् वर्ष 2070–2071 के अनुसार दुरूस्त कर त[illegible] जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:48 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी [illegible]लना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस

27.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1945 दिनांक 23.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " राजस्व ग्राम नेडलिया के साबिक राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2041 के खाता संख्या 168 में साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी 3 पर रोड़ा वल्द बख्ता कौम रावत साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–संक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रदत्त ग्राम नेडलिया की मिसल बन्दोबस्त संवत् 2064 से 2083 अन्तर्गत वादग्रस्त साबिक खसरा नम्बर 27 का मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

| हाल | | साबिक | |
|---|---|---|---|
| ख0 नं0 | रकबा | ख0 नं0 | रकबा |
| 12 | 0.81 | 27 | 0.81 |

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाता संख्या 290 में खसरा नम्बर 12 रकबा 0.81 हैक्टेयर पर खातेदार रोड़ा पुत्र बख्ता जाति रावत के नाम दर्ज है। साबिक नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा संख्या 27 की सीमा आकृति का वर्तमान राजस्व मानचित्र खसरा नम्बर 12 की आकृति का तुलनात्मक मिलान करने पर दोनों खसरा नम्बरान की आकृति तथा आस–पास के अन्य खसरा नम्बरान की आकृतियों में भिन्नता दर्शित होती है। प्रार्थी द्वारा वर्किंग मानचित्र अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में राजस्व नम्बर 12 की सीमाओं की दुरूस्तगी चाही गई है। चूंकी दोनो राजस्व मानचित्रों की तुलनात्मक मिलान में वादग्रस्त खसरा नम्बर 12 के आस–पास के अन्य खातेदारी खसरा नम्बरान भी प्रभावित होने से दुरूस्ती की अनुशंसनिय नहीं है।"

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के साबिक नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा संख्या 27 की सीमा आकृति का वर्तमान राजस्व मानचित्र खसरा नम्बर 12 की आकृति का तुलनात्मक मिलान करने पर दोनों खसरा नम्बरान की आकृति तथा आस–पास के अन्य खसरा नम्बरान की आकृतियों में भिन्नता दर्शित होती है। प्रार्थी द्वारा वर्किंग मानचित्र अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में राजस्व नम्बर 12 की सीमाओं की दुरूस्तगी चाही गई है। चूंकी दोनो राजस्व मानचित्रों की तुलनात्मक मिलान में वादग्रस्त खसरा नम्बर 12 के आस–पास के अन्य खातेदारी खसरा नम्बरान भी प्रभावित होने से दुरूस्ती की अनुशंसनिय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:48 IST
Reason: SelfAttested

27.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

## —:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। राजस्व ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के साबिक नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा संख्या 27 की सीमा आकृति का वर्तमान राजस्व मानचित्र खसरा नम्बर 12 की आकृति का तुलनात्मक मिलान करने पर दोनों खसरा नम्बरान की आकृति तथा आस—पास के अन्य खसरा नम्बरान की आकृतियों में भिन्नता दर्शित होती है। प्रार्थी द्वारा वर्किंग मानचित्र अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में राजस्व नम्बर 12 की सीमाओं की दुरूस्तगी चाही गई है। दोनो राजस्व मानचित्रों की तुलनात्मक मिलान में वादग्रस्त खसरा नम्बर 12 के आस—पास के अन्य खातेदारी खसरा नम्बरान भी प्रभावित होने के **कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा सरे—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, पुष्कर (अजमेर)

27.10.2

**सुखाराम पिण्डेल**
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:48 IST
Reason: SelfAttested